रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. No. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 1] नई दिल्ली, दिसम्बर 30—जनवरी 5, 2019, शनिवार/पौष 9—पौष 15, 1940

No. 1] NEW DELHI, DECEMBER 30—JANUARY 5, 2019, SATURDAY/ PAUSHA 9— PAUSHA 15, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2018

का.आ. 1.— बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (i) के उपबंध यूनियन बैंक आफ इंडिया पर लागू नहीं होंगे, जहां तक इसका संबंध बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राज किरन राय जी. को स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के पद पर नामित करने से है।

[फा.सं. 13/2/2016-बीओ-I]

ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 22nd November, 2018

S.O. 1.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declare that the provisions of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply to Union Bank of India in relation to the nomination of Shri Raj Kiran Rai G., Managing Director and Chief Executive Officer, Union Bank of India on the Board of Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Limited as Director.

[F. No. 13/2/2016-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2018

का. आ. 2.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री आनंद मधुकर, विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, सुश्री सिंधु पिल्लई के स्थान पर यूको बैंक के निदेशक मण्डल में सरकारी नामिती निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2012-बीओ-I]

ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव

New Delhi the 4th December, 2018

S.O. 2.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Anand Madhukar, Officer on Special Duty, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services as Government nominee Director on the Board of Directors of UCO Bank, with immediate effect and until further orders, *vice* Ms. Sindhu Pillai.

[F. No. 6/3/2012-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2018

का. आ. 3.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 11 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित आर. पटेल के त्याग-पत्र को स्वीकार करती है।

[फा. सं. 1/3/2013-बीओ-I]

ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 11th December, 2018

S.O. 3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 11 of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Government, hereby accepts the resignation of Dr Urjit R. Patel as Governor, Reserve Bank of India.

[F. No. 1/3/2013-BO-I]
JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2018

का. आ. 4.— भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उप-धारा (4) के साथ पठित उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री शक्तिकांत दास, आईएएस सेवानिवृत्त (टीएन: 80), भूतपूर्व सचिव, आर्थिक कार्य विभाग को तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 1/3/2013-बीओ-I]

ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 11th December, 2018

S.O. 4.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) read with sub-section (4) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Government hereby appoints Shri Shaktikanta Das, IAS Retd. (TN:80), former Secretary, Department of Economic Affairs, as Governor, Reserve Bank of India (RBI), for a period of three years.

[F. No. 1/3/2013-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.